P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-4* July-2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

लोकतन्त्रः भारत के विशेष सन्दर्भ में एक संक्षिप्त अध्ययन
Democracy: A Brief Study with Special Reference to India

Paper Submission: 15/07/2021, Date of Acceptance: 24/07/2021, Date of Publication: 25/07/2021

इरसाद अली खाँ
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान,
राजकीय बांगड़ महाविद्यालय,
डीडवाना, राजस्थान, भारत

सारांश

लोकतंत्र आज के युग की सबसे लोकप्रिय अवधारणा है। जनता और सत्ता के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने वाली एक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र लगभग सभी देशों सें एक अनिवार्य, अपरिहार्य और नितान्त वांछित आवश्यकता के रूप में है। आज विश्व के सभी देश चाहे उनकी शासन प्रणालियाँ कुछ भी क्यों न हो अपने को लोकतंत्र की ही संज्ञा देते हैं। द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी, जापान, इटली (धुरी राष्ट्रों) के पतन के पश्चात् मित्र राष्ट्रों(ब्रिटेन, फ्राँस, अमेरिका) की विजय ने लोकतंत्र को पुनः प्रतिष्ठा दी। 1949 ईं में युनेस्को की रिपार्ट के आधार पर विश्व के अधिकांश विद्वान लोकतंत्र को ही उचित और आदर्श राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन मानते हैं। प्राचीन काल में विशेष रूप से प्लेटो से लेकर वर्तमान काल में लोकतंत्र सर्वाधित चर्चित विषय के रूप में रहा है। लोकतंत्र का प्रारम्भिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसाकि वर्तमान में है। आधुनिक युग में विश्व के अनेक देशों में लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्रचलन है। पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रचलित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्राँस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, भारत, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा इजराइल इत्यादि में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन है।

Democracy is the most popular concept of today's era. Democracy as a system establishing close relations between people and power is an essential, indispensable and absolutely desired requirement from almost all countries. Today, all the countries of the world, no matter what their systems of governance, call themselves as democracy. After the fall of Germany, Japan, Italy (Axis nations) in the Second World War, the victory of the Allies (Britain, France, America) re-established democracy. On the basis of the report of UNESCO in 1949, most of the scholars of the world consider democracy as the proper and ideal political and social organization. Democracy has been the most talked about topic in ancient times, especially from Plato to the present day. The early form of democracy was not the same as it is at present. In the modern era, democratic system is prevalent in many countries of the world. The democratic systems prevailing in western countries are considered to be ideal examples of democracy. Democratic system is prevalent in USA, Great Britain, France, Germany, Italy, Belgium, Luxembourg, Norway, Sweden, Denmark, India, Japan, Australia, New Zealand and Israel etc.

मुख्य शब्दः लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संप्रभु, वयस्क मताधिकार जनमत संग्रह, दीक्षा, जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, कैंटन, राष्ट्रपति, संसदीय, एकात्मक, संघीय, बहुलवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, समानता, स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य, गरीबी, बेरोजगारी, भूख, मौलिक अधिकार, लोगों की संप्रभुता, सर्वांगीण शिक्षा, पक्षपात, निरक्षरता, जातिवाद, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, बहुल समाज, प्रबुद्ध जनमत, दान आदि।

Keywords: Democracy, Representation, Direct and Indirect Democracy, Sovereign, Adult Suffrage Referendum, Initiation, Referendum, Reversion, Cantons, Presidential, Parliamentary, Unitary, Federal, Pluralist, Marxist, Socialist, Equality, Freedom, Welfare State, Poverty, Unemployment, Hunger Fundamental rights, people's sovereignty, all-round education, partisanship, illiteracy, casteism, untouchability, communalism, linguism, plural society, enlightened public opinion, charity etc.

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही लोकतन्त्र सर्वाधिक चर्चित विषय रहा है। प्लेटो, अरस्तू से लेकर आज तक इसके (लोकतंत्र के) सर्वाधिक विचार व्यक्त हुये हैं। आज का समय साधारण एवं सभ्य मनुष्यों का युग है, जिसमें लोकतन्त्र का होना अति आवश्यकता हैं, जहाँ लोकतंत्र कतिपय शाश्वत वरीयताओं पर आधारित है, वर्तमान में डाहल, डेविड ईस्टन, लासवैल, आमण्ड तथा पॉवेल इत्यादि सभी व्यवहारवादियों ने परम मूल्य के रूप में अपनाया। व्यवहारवादी आनुभाविक सन्दर्भ में इसके लगातार सत्यापन एंव परिमाणीकरण के पक्ष में है। पैराक्लीज के एथेन्स तथा टॉमस जकरसन तथा एण्ड्रयू जैक्सन के प्रजातन्त्र की व्याख्या आज के प्रजातन्त्र की व्याख्या से नितान्त भिन्न है।

प्राचीन व वर्तमान काल के प्रजातन्त्र तथा मध्यकाल में की गयी प्रजातन्त्र की व्याख्या में भिन्नता देखते हैं तथा इनको एक-दूसरे का पर्यायवाची नहीं समझना चाहिए। आज का प्रजातन्त्र

राज्य प्रधान पर आधारित है तथा इसमें अनेक मिश्रित विचारधाराओं का संगम है, जैसे राष्ट्रीय प्रजातन्त्र, जनवादी प्रजातन्त्र, समाजवादी प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकृत प्रजातन्त्र इत्यादि। प्राचीन काल की ऐतिहासिक (शास्त्रीय) स्वरूप में वर्तमान काल के बारे में पर्याप्त परिर्वतन हो जाने के कारण अनेक राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इसके अलग-अलग नाम दिये हैं। जैसे लोवेस्टीन ने पोलोक्रेसी, राबर्ट ए. डाहल ने लोकप्रिय या बहुतन्त्र, तथा अन्य विद्वानों ने जनतन्त्र, दलीयतन्त्र, निर्वाचित बहुमत, आदि नाम दिये हैं। जहाँ हम हिन्दी भाषा मे जनतन्त्र को आर्थिक प्रजातन्त्र के लिए तथा लोकतन्त्र को राजनीतिक प्रजातन्त्र के लिए प्रयोग करते हैं। सारटोरी ने कहा कि इसके कारण वर्तमान अवस्था को प्रजातन्त्र शान्ति का युग कहा है। यहाँ पर इस अवसाद का अभिप्राय यह है कि इन विभिन्न नामों के प्रयोग के परिणामस्वरूप में अनिश्चियात्मकता, अस्पष्टता, शान्ति आदि वैचारिक कठिनाइयों ने जन्म ले लिया तथा इसके साथ ही पश्चिमी तथा अमरीका प्रजातन्त्र में यह एक जीवन प्रणाली बनकर राज्य की व्यवस्थाओं में समाहित हो गयी।

अध्ययन का उद्देश्य

लोकतन्त्र के सन्दर्भ में उद्देश्यों को तय किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यो का तय किया गया है:-

1. लोकतन्त्र को अर्थ तथा परिभाषा को समझ सकेंगे तथा इसको अलग-अलग अर्थों में व्यक्त कर सकते हैं।
2. लोकतन्त्र मे किस प्रकार शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है तथा लोकतन्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों के नाम ज्ञात कर सकेंगे।
3. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र के सन्दर्भ में जान सकेंगे तथा इनकी पद्धतियों को जान सकंेगे।
4. लोकतन्त्र लक्षण या विशेषताओं का उल्लेख करना।
5. लोकतन्त्र के गुण तथा दोष (आलोचनाओं) को ज्ञात कर सकेंगे।
6. इसमें भारत के लोकतन्त्र के अवरोधक तत्वों को ज्ञात कर सकेंगे।
7. भारत में लोकतन्त्र की बाधाओं को दूर करने के उपायों का ज्ञात करना।
8. लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का ज्ञात कर सकेंगे।

शोध प्रविधि तथा परिकल्पना

किसी शोध (अनुसंधान) के लिए शोध प्रविधि तथा परिकल्पना की अति आवश्यकता होती है, इनके बिना किसी भी शोधकार्य को करना असम्भव हो जाता हैं। इसमें (लोकतंत्र) शोध प्रविधि के रूप में व्यक्तिवृत अध्ययन का प्रयोग किया गया है, जिसके तहत दो तरह के स्त्रोतों की जरूरत पड़ती है (1) प्राथमिक स्त्रोत, (2) द्वितीयक स्त्रोत, इस शोध में ज्यादातर द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से ही अध्ययन किया गया है, जिसके तहत पुस्तकें, पाण्डूलिपि, पत्र-पत्रिकाओं में छपे निबन्ध, विचारकों की पुस्तकें तथा आँनलाइन वेबसाइड से तथ्यों का संकलन कर (एकत्रित कर) उसका लिखा गया हैं।

किसी भी शोध में परिकल्पना में उसके सन्दर्भ में यह ज्ञात करना कि ऐसा हो सकता है या होगा, यह कोई जरूरी नहीं कि परिकल्पना पूर्णतया सही हो, परन्तु सत्य तक पहुँचने में सफलता जरूर दिलाती हैं, विशेषताएँ, गुण-दोष, भारत में लोकतन्त्र तथा इसकी सफलता के आवश्यक शर्ते मस्तिष्क की उपज के हिस्सों का प्रयोग करना पडा है।

साहित्यवलोकन

किसी भी शोधकार्य को करने से पहले शोध से सम्बधित अनेक पुस्तकों, लेखों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है, जिसमें इसमें अनेक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करना तथा अवश्यक समझा गया तथा कम्प्यूटर के माध्यम से आँनलाइन वेबसाइट का भी अध्ययन किया गया। इसमें विशेष रूप डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक "राजनीति विज्ञान के मूल आधार" पृष्ठ 251-264 तथा डॉ. नन्दिनी उप्रेती की पुस्तक "राजनीति विज्ञान के मूल आधार" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2003, पृष्ठ 132-146, प्रभुदत्त शर्मा की पुस्तक "तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएँ" कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ 145-169, धर्मचन्द जैन (सम्पादक) "राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त" पृष्ठ 121-129, ए.डी. आर्शीवादय की पुस्तक "राजनीति शास्त्र" पृष्ठ 364, पी.के. चड्डा की पुस्तक "राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त, आदर्श प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 231-253 तथा पुखराज जैन की पुस्तक "राजनीतिक सिद्धान्त "साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2018, पृष्ठ 80-96 इत्यादि का अध्ययन किया गया।

लोकतंत्र का अभिप्राय

लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय "डेमोक्रेसी" (Democracy) "ग्रीक" (यूनानी) भाषा के दो शब्दों 'डेमोस' (Demos) तथा क्रेटिया (Kratia) से मिलकर बना है। डिमोस का अर्थ है लोक तथा क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। अतः लोकतंत्र का अर्थ है लोकशक्ति या जनशक्ति। जहाँ शासन की अंतिम शक्ति लोगों के हाथों में होती है या लोग शासन सत्ता का स्त्रोत होते हैं वहाँ लोकतंत्र विद्यमान होता है। लोकतंत्र का अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है, कुछ के लिए यह विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली है, जिसमें लोग या अनेक राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, कुछ के लिए यह मानवीय समाज का दर्शन है, राजनीतिक आदर्श है, जीवन का ढंग है। कुछ के लिए यह आदर्शों एवं भावनाओं का ऐसा समूह है, जो समाज के सदस्यों के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार को प्रेरित एवं नियन्त्रित करना है, कुछ के लिए यह आध्यात्मिक आदर्श है। कुछ के लिए यह समाज का एक रूप है व कुछ के लिए आर्थिक असमानताओं को दूर करने का साधन है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीजें रहा है। लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है, जिसमें जनता शासन करती हैं, शासन का संचालन करती है, यही सरकार का निर्माण करती है, सरकार के प्रति उत्तरदायी भी होती है। शासन की सत्ता जनता के हाथों में रहती है, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं करती है या अपने प्रतिनिधियों द्वारा कराती है।

लोकतंत्र का मुख्य निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया जाता रहा है -

शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र

लम्बे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से ही लिया जाता था परन्तु शासन की तीन विशेषता है- 1 जनता के हितों की रक्षा करना, 2 जनता का प्रतिनिधित्व करना तथा 3 जनता के प्रति उत्तरदायी होना।

समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र

सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद, स्थिति और स्तर कुछ भी हो, समान है और उनमें किसी आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता, सभी कानून के समक्ष समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है।

आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र

सम्पत्ति की गम्भीर असमानताओं न हो, शोषण और अन्याय न हो, सभी को आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन हो और सभी के पास न्यूनतम जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हो।

राजनीतिक के प्रकार के रूप में लोकतंत्र

देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार विद्यमान है। सभी के मत का समान मूल्य है। प्रत्येक के पास एक मत है व किसी को भी एक से अधिक मत देने का अधिकार नहीं रखता है। सभी की राजनीतिक स्वतंत्रतायें सुरक्षित है। विरोध को समाप्त या शान्त नहीं किया जा सकता अर्थात् नागरिक को उसकी राजनीतिक स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं किया जा सकता, फिर भी उसे कानून का पालन करने के लिए कहा जा सकता है।

सरकार के प्रकार के रूप में लोकतंत्र

लोकतंत्र प्रतिनिधित्व सरकार के सिद्धान्त पर आधारित है। यह सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा अपने प्रत्येक कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार जनता के विश्वास पर्यन्त तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है।

जीवन के विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में लोकतंत्र

प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं है, वरन् यह तो जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। इसके अन्तर्गत मनुष्य का एक विशेष प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सबके हृदय में दया, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी दृष्टिकोण के प्रति आदरभाव मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौतें की प्रकृति विद्यमान हो। प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसन्द करता है।

नैतिक स्वरूप के रूप में लोकतंत्र

विशेष रूप से लोकतन्त्र का स्वरूप नैतिक भी होता है। यह स्वरूप एक आदर्श एवं आध्यात्मिक जीवन की भी कल्पना करता है, जिसके अन्तर्गत स्वार्थ, घृणा, द्वेष, ईष्या इत्यादि बुरी प्रवृत्तियों का नाम नहीं रहना चाहिये मनुष्यों में प्रेम, देशप्रेम, सहयोग, साहनुभूति एवं मातृत्व इत्यादि गुणों की वृद्धि करके नागरिकों का विकास होना चाहिए। जैकरसन के अनुसार "प्रजातंत्र शासन इस विश्वास पर आधारित है कि अधिकाँश जनता स्वशासन की योग्यता होता है कि वह ऐसे शासनों का निर्वाचन करें, जो सामाजिक हित की दृष्टि में रखकर कार्य करें।

लोकतंत्र की परिभाषायें

लोकतंत्र की निम्नलिखित परिभाषाएँ निम्नलिखित प्रकार से हैं -

अब्राहम लिंकन (गोटसबर्ग के भाषण के कहा) के अनुसार "श्लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है।"

डायसी के अनुसार "लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप हैं, जिसमें शासक समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग है।"

ई.एफ. कैरिट के अनुसार "लोकतंत्र सम्पूर्ण का शासन है, यह बहुमत द्वारा शासन है, यह वयस्कों के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन है।"

सीले के अनुसार, "लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो।"

हिरोडोटस के अनुसार, "लोकतंत्र शासन का वह रूप है, जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति सम्पूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है।"

ब्राइस के अनुसार, "लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है, जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग में अथवा वर्गों में निहित न होकर सम्पूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है।"

हर्नशॉ के शब्दों में "लोकतंत्र केवल सरकार का स्वरूप नहीं है बल्कि राज्य और समाज का भी स्वरूप है।"

डॉ. बेनीप्रसाद के अनुसार, "लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही जितना अन्य किसी के सुख का साधन माना नहीं समझा जा सकता है।"

लावेल के अनुसार, "लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त हो और वह जानता हो कि उसे समान अवसर प्राप्त है।"

गिडिंग्स के अनुसार, "प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है वरन् राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है।"

हिरोडोटस (प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक) के अनुसार, "लोकतन्त्र उस शासन व्यवस्था का नाम है, जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्पूर्ण जनता के हाथों में निवास करती है।"

लेविस के अनुसार, "वस्तुतः प्रजातंत्र वह सरकार में है, जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता सम्प्रभु शाक्ति के प्रयोग में हिस्सा लेती है।"

हॉल के अनुसार, "लोकतंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियन्त्रण रहता है।"

ए.डी. आर्शीवादय के अनुसार, "हमारा विश्वास है, कि प्रजातंत्र मानवता के प्रति हमारे उत्साह की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।"

आस्टिन के अनुसार "लोकतंत्र वह शासन है, जिसमें शासन की अन्तिम शाक्ति जनता के अधिकाँश भाग को प्राप्त होती है।"

मैक्सी ने लोकतंत्र का व्यापक अभिप्राय के रूप लिखा है कि "बीसवीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढाँचे से ही नहीं है वरन् यह जीवन के उस मार्ग की खोज है, जिसमें मनुष्यों की स्वतन्त्र एवं ऐच्छिक वृद्धि के आधार पर इनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। कोजियर के अनुसार "मनुष्य की भौतिक एवं सामाजिक दशाओं की समानता लोकतंत्र का सार है।"

लोकतंत्र के प्रकार

लोकतंत्र को साधारणतया दो भागों में अर्थात दो प्रकार हैं -1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा 2 अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र

प्रत्यक्ष लोकतंत्र

इसे लोकतंत्र का शुद्व रूप भी कहते हैं। इसमें सम्पूर्ण जनता स्वयं शासन संचालित करती है, नीतियों को निर्धारित करती है, कानूनों का निर्माण करती है। शासकीय पदाधिकारियों को नियुक्त करती है, राजनायकों का स्वागत करती है और न्याय करती है। सम्पूर्ण जनता अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग नगर सभाओं में करती है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के नगर राज्यों के, मध्ययुग में इटली के नगर राज्यों और आधुनिक समय में स्विट्जरलैण्ड के पाँच केन्टनों और अमरीका के कम जनसंख्या वाले राज्य में विद्यमान है। जहाँ सम्पूर्ण जनता विचार विमर्श के लिए सरलतापूर्वक एकत्रित हो सकती है परन्तु आधुनिक विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख पद्धतियाँ निम्नलिखित प्रकार है-

1. जनमत संग्रह, (Referendum)
2. आरम्भन, (Initiative)
3. मत संग्रह, (Plebisite)
4. प्रत्यावर्तन, (Recall)

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

इसे प्रतिनिधि प्रजातंत्र का नाम देते हैं। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष शासन नहीं करती बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती हैं। जनता नियतकालिक निर्वाचनों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती हैं। प्रतिनिधियों से व्यवस्थापिका की रचना की जाती है, जो जनता के लिए विधियों का निर्माण करती हैं। जो विधायकों और साधारण जनता पर समान रूप से लागू होती है। विश्व में आज प्रायः सभी देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है- उदाहरण के लिए भारत, ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विविध रूपों में विद्यमान है- संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत व ब्रिटेन में संसदात्मक है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हैं इसी प्रकार ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, जबकि भारत में संघात्मक व एकात्मक शासन प्रणाली का मिला-जुला रूप है।

लोकतंत्र सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्त

वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देश लोकतान्त्रिक राज्य होने का दावा करते हैं। स्वयं हिटलर ने कहा था कि अपने शासन को जर्मन लोकतन्त्र कहना पसंद करता हूँ। अलग-अलग देशों में लोकतन्त्र को राज्य रूप या जीवन व समाज का ढंग के

रूप में स्वीकार किया गया। वैचारिक अन्तर के कारण लोकतंत्र के सिद्धान्तों आदर्शों एवं मूल्यों में भी अन्तर होता है। इस आधार पर हम जो लोकतंत्र के दृष्टिकोणों को देखते हैं उनमें प्रमुख हैं

2. लोकतन्त्र का परम्परागत (शास्त्रीय) सिद्धान्त,
3. लोकतन्त्र का वर्गीय सिद्धान्त,
4. लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त,
5. लोकतन्त्र का माक्र्सवादी सिद्धान्त तथा
6. लोकतन्त्र का समाजवादी सिद्धान्त

लोकतंत्र के लक्षण या विशेषतायें

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना निम्नानुसार कर सकते हैं -

समानता

लोकतंत्र में समानता पर बहुत बल दिया जाता है, इसमें ऊँच-नीच का भेद कम कर दिया जाता है उदाहरण के लिए, भारत में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, कोई विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं होता है और भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक समानता की स्थापना की जाती है। सामाजिक समानता के साथ-साथ आर्थिक व राजनीतिक समानता भी स्थापित करना भी जरूरी है, इसलिए भारत में जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के भेदभाव नष्ट करके वयस्क मताधिकार आरम्भ किया गया है, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र सारहीन हो जाता है।

स्वतंत्रता

समानत के साथ ही स्वतंत्रता भी लोकतंत्र के लिए प्रमुख है। लोकतंत्र में जनता को जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उतनी किसी और प्रकार के शासन में नहीं मिलती है क्योंकि लोकतंत्र तभी सम्भव है, जब सभी व्यक्तियों को नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रतायें प्राप्त हो, राजनीतिक स्वतंत्रता में मत देने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, शासन की आलोचना करने का अधिकार आदि आता है। नागरिक स्वतंत्रता में विचार और भाषण की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, निवास स्थान, व्यवसाय, आवागमन, व्यापार और सीमित मात्रा में सम्पत्ति की स्वतंत्रता आदि आती है। धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।

मौलिक अधिकार

लोकतंत्र में जनता को मौलिक अधिकार दिये जाते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है। भारत, जापान, अमेरिका, फ्राँस, इटली, चीन आदि देशों में संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं।

बहुमत का शासन

लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, निर्वाचन के परिणामस्वरूप जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसे ही शासन करने का अधिकार होता है। बहुमत के शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण हो तथा अल्पमत वर्ग में भी सहनशीलता हो।

जनप्रभुसत्ता में विश्वास

लोकतंत्र शासन प्रणाली लोक प्रभुसत्ता में विश्वास करती है, जिसका अर्थ है- सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता का अन्तिम स्त्रोत देश की आम जनता है। लोक प्रभुसत्ता की स्थिति को निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है:-

(क) लोकतंत्रिक शासन में शासक वर्ग एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए व चुनावों में संविधान व कानून द्वारा निर्धारित योग्यताओं वाले सभी नागरिकों को भाग लेने का समान अधिकार होना चाहिए।

(ख) लोकतान्त्रिक शासन में जनता का शासक वर्ग पर निरन्तर प्रभाव बना रहे, इसके लिए जनता को विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त होनी चाहिए। जनता का शासक वर्ग में सम्पर्क तथा शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो व संचार साधनों को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो।

प्रतियोगी दलीय व्यवस्था

लोकतांत्रिक शासन में प्रतियोगी दलीय व्यवस्था को मान्यता दी जाती है, शासन पर किसी एक दल विशेष का ही प्रभुत्व नहीं होता है। विभिन्न दलों को अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित करने की स्वतंत्रता होती है। शासक दल विपक्षी दलों का सम्मान करता है।

संविधानवाद

संविधानवाद का आशय है, सीमित शक्तियों वाला शासन। लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित नहीं। अतः लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है। एक विद्वान के अनुसार "लोकतंत्र की मान्यता है, विधियों का शासन तथा विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं।"

लोककल्याणकारी राज्य

लोकतंत्र एक लोककल्याणकारी राज्य होता है और इसमें किसी वर्ग विशेष के नहीं बल्कि सम्पूर्ण जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। अतः इसमें व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन समझा जाता है और व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में पर्याप्त सम्मान और गौरव प्राप्त होता है। राज्य का यह कत्र्तव्य है कि वह व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें।

सत्ता का शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण

लोकतांत्रिक शासन में सशक्त संघर्ष या खूनी क्रान्ति को कोई स्थान नहीं है। सत्तारूढ़ दल पराजित होने के बाद तुरन्त अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तथा नवनिर्वाचित बहुमत प्राप्त दल को सत्ता सौंप देता है।

लोकतंत्र के गुण

लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है और अधिकाँश विद्वानों ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम प्रणाली बताया है। लार्ड ब्राइस के अनुसार, " प्रजातंत्र व्यक्तियों के सम्मान में वृद्धि करता है।"

जनसाधारण के हितों पर आधारित

लोकतंत्र में जनसाधारण के हितों पर ध्यान दिया जाता है, किसी वर्ग विशेष के हितों पर नहीं क्योंकि लोकतंत्रिक शासन व्यवस्था में प्रभुसत्ता अन्तिम रूप से समस्त जनता में निहित होती है।

समानता पर आधारित

लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान समझा जाता है। इसमें कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सरकार तथा कानून द्वारा धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग, धनी, निर्धन आदि के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता ।

व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान

लोकतंत्र में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है तथा उसकी योग्यता एवं क्षमताओं में विश्वास किया जाता है। जहाँ अन्य प्रकार के शासनों में व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है और उसका व्यक्तित्व को कुचल दिया जाता है। प्रजातंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है।

जनमत पर आधारित

लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन होता है। शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं जनता ही शासन करती है।

स्वरक्षा के साधन

लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति को स्वरक्षा के साधन प्राप्त होते हैं। निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति दुर्जनों को अपदस्थ कर सकते हैं। निर्वाचन ऐसा अवसर है, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति नीति निर्मात्ताओं पर

नियंत्रण रखते हैं और प्रतिनिधियों को बदलकर नई दिशाओं का निर्देशन दे सकते हैं।

स्वतंत्रताओं की सुरक्षा

लोकतंत्र में व्यक्तियों की स्वतंत्रतायें सुरक्षित रहती है। इसमें व्यक्ति भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, संघ-समूह, व्यवसाय आदि स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकते हैं। प्रजातांत्रिक राज्य प्रायः धर्म-निरपेक्ष होते हैं। अतः व्यक्तियों को किसी धर्म को अपनाने उसके प्रचार करने और उसके रीति-रिवाजों एवं संस्कारों को मानने की स्वतंत्रता होती है।

शांतिमय साधनों में विश्वास

लोकतंत्र संवैधानिक अर्थात् शान्तिमय साधनों में विश्वास करता है। इसमें सत्ता को प्राप्त करने या सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अनुनय, विचार-विमर्श, तर्क, जनमत आदि का सहारा लिया जाता है। इसमें हिंसा, क्रान्ति, दमन या उपद्रव का सहारा नहीं लिया जाता। यह मतपत्रों की शक्ति में विश्वास करता है, गोली में नहीं।

संस्कृति, सभ्यता, कला और विज्ञान का विकास

लोकतंत्र में संस्कृति, सभ्यता, कला और विज्ञान का विकास सम्भव है क्योंकि लोकतंत्र ही उस स्वतंत्र वातावरण को बनाये रखता है, जिसमें इनका विकास सम्भव है।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

लोकतंत्र में अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहते हंै। वे देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होते हैं। बहुसंख्यक लोग उन्हें सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, साम्प्रदायिक सद्भावना बनी रहती है।

क्रान्ति से सुरक्षा

लोकतंत्र में सेना की अराजनीतिक भूमिका होती है, सेना को सत्ता का स्वाद नहीं लगता तथा सेना राजनीतिक षड्यन्त्रों से दूर रहती है। अतः देश खूनी क्रान्ति से बचा रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति में विश्वास

लोकतंत्र युद्ध और युद्ध की तैयारियों में विश्वास नहीं करता । यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास करता है। यह समस्याओं का समाधान पारस्परिक बातचीत, मध्यस्थता या पंच निर्णय द्वारा कराना चाहता है। यह विश्व शान्ति का पोषक है। सी.डी. बन्र्स के अनुसार यह ''शान्तिमय आन्दोलन है।''

सर्वतोन्मुखी शिक्षण

लोकतंत्र शिक्षा का प्रसार करता है। सी.डी. बन्र्स के अनुसार '' सभी शासनतंत्र शिक्षा की पद्धतियाँ है परन्तु स्वशिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अतः श्रेष्ठ शासन प्रजातंत्र है, जो स्वशासित है।'' जब नागरिक निर्वाचनों में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, उम्मीद्वारों का चयन करते हैं, तो वे उन सब विषयों, उम्मीद्वारों एव राजनीतिक दलों पर चिन्तन करते हैं तथा उनके गुण-दोषों पर विचार करते हैं। ये सब प्रक्रियायें स्वयं में एक महान् प्रशिक्षण है।

देशभक्ति का स्रोत

प्रजातन्त्र सदैव जनता में देशभक्ति का संचार करती है। इसमें जनता को अपने देश के लिए कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तथा इस कारण उनमें देश के प्रति लगााव हो जाता है। मिल के अनुसार ''लोकतंत्र लोगों की देश भक्ति को बढाता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर उनके सेवक है।

लोकतंत्र के दोष

लोकतंत्र के जितने समर्थक रहे हैं, सम्भवतः उससे अधिक इसके आलोचकों की संख्या है। इसकी आलोचना राजनितिज्ञों, नेताओं, लेखकों, वैज्ञानिकों, जीवविज्ञान शास्त्रियों, मनोविज्ञान शास्त्रियों आदि ने की है। टेलीरैण्ड ने इसे '' गुण्डों का कुलीनतंत्र'' कहा है। कार्लायल इसे ''मूर्खों का शासन'' कहा है। लुण्डोविकी का मत है कि '' प्रजातंत्र मृत्यु की और ले जाता है और कुलीनतंत्र जीवन की और''। एच.डी. वेल्स के अनुसार, ''इसे पाँच मिनट में ही खत्म किया जा सकता है।'' वेली इसे ''भ्रष्ट धनिकतंत्र'' कहता है हर्टमान इसे '' शोर मचाने वालों, गप्पियों, बात में से बात निकालने वाले चापलूसों एवं धनिकों के प्रशंसकों के लिए स्वर्ग'' कहता है। ट्रीश्के ने इसे श्अस्थिर एवं अयोग्यश् का शासन कहा है।

लोकतंत्र की आलोचना/निम्नलिखित आधारों पर ही जाती है:-

अस्थिरता का शासन

बहुदलीय शासन प्रणाली में जब चुनावों के परिणामस्वरूप किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो एक से अधिक दलों के मेलजोल से सरकार का गठन किया जाता है। इन दलों में किसी भी विषय को लेकर मतभेद होने पर किसी भी दल द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार को अल्पमत में पहुँचाकर अस्थिरता उत्पन्न की जा सकती है।

अयोग्य एवं अक्षमता व्यक्तियों का शासन

लोकतंत्र के विरूद्ध आक्षेप लगाया जाता है कि मूर्खों, अज्ञानियों तथा अशिक्षितों का शासन है। प्लेटो ने शासन संचालन को एक कला माना और कहा कि शासन को वही व्यक्ति भली प्रकार संचालित कर सकते हैं, जो बुद्धिमान और निपुण हो परन्तु लोकतंत्र अशिक्षितों का शासन है। अरस्तू ने इसे विकृत शासन माना है।

अकुशल एवं अकर्मण्य शासन

लोकतांत्रिक शासन अकुशलता, शीघ्रता और ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता, जबकि अधिनायकतंत्र, राजतंत्र और कुलीनतंत्र अधिक कुशल शासन है। लोकतंत्र उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे अधिनायकतंत्र या कुलीनतंत्र प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि प्रजातन्त्र में अन्तर्निहित सीमायें होती है। सुरक्षा और व्यवस्था के उद्देश्यों को अधिनायकतंत्र में अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता है।

भ्रष्ट नेतृत्व

जनसाधारण का राजनीतिक विवेक बहुत निम्न स्तर का होता है, इसलिए लोकतंत्र में जनोत्प्रेरक नेता को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है। भ्रष्ट नेता जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके वोट बटोर लेते हैं और फिर नारेबाजी की आड़ में अपने स्वार्थों को बढ़ावा देते है। चरित्रहीन राजनीतिज्ञ अनेक स्थानों या संस्थाओं के प्रभावशाली लोगों के साथ सौदेबाजी करके जनता को उल्लू बनाते हैं और उसकी आँखों में धूल झौंकतें हैं।

मतदाताओं की उदासीनता

लोकतंत्र का एक दोष यह भी है कि मतदाताओं में अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है।इस उदासीनता के परिणामस्वरूप सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में पँहुच जाती है, जो मतदाताओं को बहकाने में सफल हो जाते हैं।

बहुमत की तानाशाही

लोकतंत्र में बहुमत दल की निंरकुशता स्थापित हो जाती है। कभी-कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लगता है, लोकतंत्र में 51 प्रतिशत लोग, 49 प्रतिशत पर मनमाने ढंग से शासन करते हैं।

गुणों की अपेक्षा संख्या का महत्व

लोकतंत्र में संख्या का अधिक महत्व है और गुणों का कम क्योंकि लोकतंत्र में चुनावों में हार-जीत का निर्णय मतों की संख्या के आधार पर किया जाता है। बुद्धिमान व्यक्तियों के मत का कोई महत्व नहीं होता।

धनवानों का शासन

अनेक विद्वानों ने लोकतंत्र को धनवानों का शासन बताया है। लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन द्वारा शासनकत्र्ता बनना केवल उन्हीं लोगों के बस की बात होती है, जो धन व साधन सम्पन्न होते हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का

काम धनी लोग ही करते हैं।

उग्र दलबन्दी

लोकतंत्र में उग्र दलबंदी पायी जाती है। राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ मिथ्या और निम्नस्तर का प्रचार करते हैं, परिणामस्वरूप विभिन्न दलों के समर्थकों में परस्पर झगड़े भी हो जाते हैं।

संकटकाल के लिए अनुपयुक्त

संकटकालीन स्थिति में लोकतंत्र शासन अनुपयोगी सिद्ध हुआ है लोकतंत्र में शीघ्र निर्णय व शीघ्रता से उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

मतदाताओं की उदासीनता

लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रियता पर आधारित व्यवस्था है किन्तु व्यवहार में मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिलती है, सामान्यतः 50 प्रतिशत मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है।

दल प्रणाली का अहितकार प्रभाव

दल प्रणाली अपने व्यवहार के द्वारा लोकतंत्र को भ्रष्ट बना देती है, विभिन्न राजनीतिक दलों का संगठन सिद्धान्त रूप में किसी विशेष राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम को लेकर चलाती है परन्तु वास्तव में वे राजनीतिक दल उस कार्यक्रम के मंच नहीं रहकर, उन नेताओं के अखाडांे बन जाते हंै। आपसी निन्दा की जाती है, जिससे देश का वातावरण अशुद्ध हो जाता है।

सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय

लोकतन्त्र में व्यवस्थापन की प्रक्रिया इतनी लम्बी होती है कि जिन कानूनों को स्वीकार करने में कुछ ही दिन लगने चाहिए उनको बनाने में बहुत समय लग जाते हैं। इसी प्रकार चुनावों के समय सरकार को भी जनता का धन, पानी की तरह बहाना पड़ता है, इसमें भी धन का अपव्यय ही होता है।

अनुत्तरदायी शासन

जिस सिद्धान्त को लेकर लोकतन्त्र बना वह व्यवहार मे लागू नहीं हो सका ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, लोकतान्त्रिक शासन सार्वजनिक उत्तरदायी शासन न होकर एक दल या दलों या अधिनायकतन्त्र हो जाता है व व्यवहारिक दृष्टिकोण से लोकतन्त्र में शासन अनुत्तरदायी हो जाता है।

राजनीतिक शिक्षा

व्यवहार में कुछ विद्वान मानते हैं कि लोकतन्त्र में राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होगी परन्तु ऐसा नही हो पाता है और जनता को कुशिक्षा ही प्राप्त होती है। राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रभोलन देते हैं, जीतने के लिए जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि की दुहाई देते हैं, रिश्वत देते हैं, दारू का सेवन, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करके वोट बटोर लेते हैं, यह एक प्रकार की कुशिक्षा एवं अशिक्षा का ही परिणाम ही हो जाती है।

सर्वतोन्मुखी उन्नति (विकास) की असम्भावना

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति में राज्य के राजनीतिक जीवन में बढ़ोत्तरी दर्ज कर सकते हैं परन्तु अन्य क्षेत्रों में उदासीनता छा जाती है। लोकतन्त्र में सभी को एक ही तरीके से व्यवहार किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति अन्य क्षेत्रों जैसे साहित्य, कला, विज्ञान में कितना ही बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो ? अतः मानव जीवन की सर्वतोन्मुखी विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है।

भारत में लोकतंत्र के अवरोधक तत्व

भारत के संविधान निर्मात्ताओं ने भारत की शासन में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, वह था, भारत को एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाना तथा संविधान में इसका उल्लेख किया। जनता की जागरूकता के लिए यह आवश्यक था लॉ-शासन में सभी की भागीदारी हो, इसलिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को आम चुनावों में भाग लेने का अधिकार सौंपा है, 2019 ईं तक के लोकसभा के आम चुनावों के माध्यम से भारतीय जनता ने अपनी राजनीतिक समझ तथा जागरूकता का परिचय दिया है। दल-बदल विरोधी अधिनियम 1985 में 52 वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया तथा 61 वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा 'पंचायत' तथा 74 वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा 'नगरीय संस्थाओं' को संविधान में स्थान देकर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का अच्छा उदाहरण दिया है तथा 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार तथा सूचना प्राप्त करने का अधिकार स्कूलों मे मीडे मिल योजना, ग्रामीण स्तर पर मनरेगा इत्यादि भारतीय लोकतन्त्र को मजबूत बनाते हैं। भारत में लोकतंत्र के मार्ग में अनेक बाधाओं का वर्णन निम्नानुसार कर सकते है-

बेरोजगारी

हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या बेरोजगार है, बेरोजगारी से निर्धनता बढ़ती है। निर्धनता से तंग आकर व्यक्ति अपराधों की और बढ़ते हंै, बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है।

निरक्षरता

लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के उच्च शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। हमारे देश में निरक्षरता लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। निरक्षरता व्यक्ति के जीविकोपार्जन के अवसर ही कम नहीं करती वरन् यह मनुष्य को सरकार की नीतियों एवं कार्यों तथा उसके आस-पास घटने वाली घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी बाधक होती है।

3. जातिवाद - जाति के आधार पर राजनीति में भाग लेने की प्रवृत्ति को जातिवाद कहते हैं। जातिवाद के पोषक किसी विशेष व्यक्ति को केवल इसलिए मत देते हैं कि वह उन्हीं की जाति से सम्बन्धित है। यह लोकतंत्र के क्रियाकलापों को विकृत कर देता है, व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में केवल इसलिए मतदान करते हैं कि वह उनकी जाति का है तो लोकतंत्र का सम्पूर्ण उद्देश्य निष्फल हो जाता है।

निर्धनता

भारतीय लोकतंत्र की मूल समस्या निर्धनता की है। भारत में अधिकांश जनसंख्या निर्धन है। यहाँ के नगर, धनी और निर्धन बस्तियों में विभाजित हैं, हजारों व्यक्ति रात को खुले में फुटपाथों पर सोते हैं तथा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। जिन लोगों की मूलभूत समस्या रोटी, कपड़ा और मकान की है। वे राजनीतिक प्रक्रिया में कैसे भाग ले सकते हैं?

अस्पृश्यता

जातिप्रथा के समस्त दोषों में अछूतों के साथ दुव्र्यवहार मुख्य है। उन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता था। उनको गाँव के अन्दर रहना वर्जित था। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था। वे भूमि जोतने के कार्य में लगे रहते थे। उनके प्रति समाज का व्यवहार अन्यायपूर्ण था। अस्पृश्यता लोकतंत्र के विरूद्ध घोर अपराध है, यह मानव की आधारभूत गरिमा पर आघात पहुचती है। स्वतंत्रता के बाद कानून तो बनायें गये हैं परन्तु आज भी में इनमें यह दोष व्याप्त है।

साम्प्रदायिकता

धर्मनिरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष) राज्य होते हुए भी भारत में धार्मिक कट्टरता के कारण दंगों का रूप ले लेती है। धर्म के आधार पर गठित अनेक संगठन धर्मनिरपेक्ष तथा देश की भावात्मक एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार साम्प्रदायिकता की समस्या भी भारत में लोकतंत्र के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।

भाषावाद

जातिवाद की भाँति भाषावाद भी भारत में लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। भारत में जातिगत विभिन्नताओं के साथ ही भाषायी विभिन्नता भी पायी जाती है। यदि व्यक्ति भाषा के आधार पर मतदान करेंगे तो लोकतंत्र का उद्देश्य निष्फल हो

जायेगा। भारत में भाषा भी विवाद का विषय है, भाषवाद भी लोकतंत्र में बाधा है।

महिलाओं के प्रति असमानता

भारत में प्राचीन समय से ही महिलाओं के प्रति असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है, स्वाधीनता के पश्चात् शिक्षा की प्रगति तथा नगरीय जीवन के विकास से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवार अभी भी रूढ़ियों में जकड़े हुए है तथा वहाँ स्त्रियों के प्रति अभी भी असमानतापूर्ण, असम्मानजनक तथा उत्पीड़नयुक्त व्यवहार किया जाता है। यह भी लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है।

भारत में लोकतन्त्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय

स्वतन्त्रता पश्चात् भारत में लोकतन्त्र लगातार अपना विकास करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जैसा पाकिस्तान में कई बार सेना का शासन रहा। भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा और शासन परिवर्तन होता है तो वह भी शान्तिपूर्ण निर्वाचनों के माध्यम से जनता के मतों द्वारा हो जाता है जैसाकि भारत में लोकतन्त्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के हम निम्नलिखित उपाय जरूर कर सकते हैं:-

बेरोजगारी, गरीबी तथा भूखमरी का हल करना

सरकारों को पूरे देश के बेरोजगारों के तथ्य लेकर उनको रोजगार देने का प्रयास करना चाहिये तथा कोई भी भूखा न सोये, इसके लिए एक उत्तम प्रकार की योजना बनायी जाये तथा गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए उन्हें कोई न कोई स्थायी उद्यम दिया जाये। इनका हल करने का तात्पर्य लोकतन्त्र शत-प्रतिशत सफल है।

जनसम्पर्क साधनों का प्रयोग

लोकतन्त्र के विकास में जनसम्पर्क साधनों का अपना एक अलग ही महत्व है, जन सम्पर्क साधनों को सर्वसाधारण के अनुभवों तथा आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिये और उन्हें राष्ट्र के विकास और उसकी उपलब्धियों को तथ्यात्मक ढंग से चिन्हित करना चाहिये।

अनुचित एवं अवैधानिक प्रचारों को रोकना

राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार से आम चुनावों में भाषण दे रहें हैं, उन्हें पूरा विश्व देख रहा है केवल भारत की जनता ही नहीं। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष दृष्टिकोण रखते हुये, इस प्रकार के होने वाले प्रचारों पर रोक लगानी चाहिये। वर्तमान मंे भारतीय जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है और वह इन प्रचारों को नकराने लगी है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना

शिक्षा ऐसी हो कि जिसमें धर्म निरपेक्षता तथा जातीय सहिष्णुता आदि भावनाओं का संचार हो। पाठ्यक्रम का आधार राष्ट्रीय होना चाहिये न कि क्षेत्रीय। शिक्षा को गाँवो तथा ढाणियों तक फैलाना आवश्यक है जिससे जागरूकता और बढ़े।

राजनीतिक आधार संहिता तथा दलों के चन्दें को सूचना के अधिकार के तहत लाना

निर्वाचन में भाषीय, क्षेत्रिय, जातीय तथा धार्मिक प्रचार को दण्डनीय बनाया जाना चाहिये तथा तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करना चाहिये तथा दलों को मिलने वाले चन्दे को सूचना के अधिकार के तहत लाना चाहिए जिससे जनता को यह पता चले सके कि इतना पैसा देता कौन है?

औद्योगिक एंव आर्थिक विकास करना

बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत को युद्धस्तर पर औद्योगिक स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके तहत आर्थिक असमानता को दूर कर आर्थिक विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिये तथा आर्थिक विषमता का समाप्त करना चाहिये।

भाषा की समस्या तथा साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध

भाषा की समस्या का हल करते हुये इसे राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता से जोड़ना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं का उचित स्थान मिले तथा साथ ही राष्ट्रीय भाषा का भी उत्थान हो। भारत में तुरन्त प्रभाव से साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। ये संगठन लोकतन्त्र के लिए घातक है।

केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास के लिए सम्मान धन का आबंटन करना

केन्द्र सरकार चाहे किसी भी दल की न हो, उसे यह सोचना चाहिए कि उसे पूरे भारत ने एकमत होकर देश का संचालन दिया है अतः सभी राज्यों की सरकार को उचित नियमानुसार आर्थिक सहयोग दे, इसमें भेदभाव न करें क्योंकि भारत एक है।

साँस्कृतियों का स्वतंत्र आदान-प्रदान करना

भारत एक मिश्रित साँस्कृतियों वाला देश है, इसमें विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक मेल मिलाप और आदान प्रदान को बढावा देने की अति आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना को समाप्त करने का प्रयत्न होना चाहिये।

उच्च नैतिक चरित्र को बढाना

भारत के नागरिकों में उच्च नैतिक चरित्र को बढ़ावा देना चाहिये, जिसमें भारत की राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके माध्यम से सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्व का चरित्र निःसन्देह उच्च होगा, जो भारत को लोकतन्त्र को मजबूती प्रदान करेगा।

लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें

लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। कोरी तथा अब्राहम ने लोकतंत्र की सफलता के लिए चार विधियों का उल्लेख किया है- 1. सरकार व नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन होना, 2. आपसी मतभेदों का निवारण वाद-विवाद व विचार विमर्श द्वारा होना, 3. मतभेदों को तथ्यों एवं तर्कों की कसौटी पर परखा जाना तथा 4. बहुमत से निर्णय लेना।

पीटर मर्कल ने लोकतंत्र की सफलता के लिए चार शर्तों का उल्लेख किया है-

क - रहन-सहन का अपेक्षाकृत उच्च स्तर,
ख - उपयुक्त मात्रा में सामाजिक व आर्थिक समानता,
ग - स्वतंत्र व बहुल समाज तथा
घ - आनुभाविक दृष्टिकोण।

लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है -

जनता की जागरूकता

लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का जागरूक होना आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए। लास्की के अनुसार "सतत् जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है।"

लोकतांत्रिक भावना

किसी देश की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसके नागरिकों में लोकतंात्रिक भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र में आस्था के अभाव में उसकी सफलता शंकास्पद है। आइवर ब्राउन के अनुसार "लोकतांत्रिक धारणा" पर अत्यधिक बल दिया है। लोगों में लोकतंत्रात्मक आस्था ही पर्याप्त नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि वे लोकतंत्र की रक्षा हेतु सतत् प्रयत्नशील रहें।

शिक्षा का ऊँचा स्तर

जिस देश में बहुत अधिक निरक्षरता होती है। वहाँ पर लोकतंत्र के लिए सफल होना कठिन हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों में राजनीतिक समझ तथा त्याग, सहानुभूति, निःस्वार्थ रूप से देश सेवा, अनुशासन, परोपकार तथा भ्रातृत्व की भावना का होना आवश्यक है।

आन्तरिक एवं बाह्य शान्ति

लोकतंत्र देश के अन्दर और बाहर शान्तिपूर्ण वातावरण की माँग करता है। यदि देश के अन्दर अव्यवस्था है, जीवन अस्त-व्यस्त है, उपद्रव और क्रान्ति जैसा वातावरण है तथा देश के बाहर युद्ध या आक्रमण या आक्रमण के भय की स्थिति है तो ये सब स्थितियाँ शक्तियों के केन्द्रीकरण और उसके स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश प्रयोग की माँग करती है, जो प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। पिनॉक और स्मिथ ने लिखा है कि "तनाव असहिष्णुता को जन्म देता है।"

राजनीतिक जागृत्ति

लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में राजनीतिक जाग्रत्ति होनी आवश्यक है। यदि नागरिक राजनीति के प्रति उदासीन है और राजनीतिक समस्याओं को भली-भाँति नहीं समझते हैं तो वे अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर सकेंगे।

सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना

लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में सहयोग एवं सहिष्णुता के गुण होने चाहिए। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार न कर उसका दमन करेगा तो शान्ति भंग होने का खतरा बना रहेगा। दूसरी और अल्पसंख्यक का भी कत्र्तव्य है कि बहुसंख्यक शासन का अवैधानिक तरीकों से विरोध न कर सहयोग की भावना से काम करंे।

प्रबुद्ध लोकमत

लोकतंत्र की सफलता की एक अन्य आवश्यकता प्रबुद्ध लोकमत है। लोकतंत्र लोकमत द्वारा शासन है। प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ एवं शक्तिशाली लोकमत लोकतंत्र का प्रहरी है।

स्वतंत्र न्यायपालिका

स्वतंत्र प्रेस की भाँति ही स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है किन्तु यह कार्य वह प्रभावशाली ढ़ंग से तभी कर पाती है, जब वह स्वतंत्र हो और कार्यपालिका उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करे।

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से ही लोकतंत्र बना रह सकता है। निश्चित अन्तराल के बाद स्वतंत्र चुनाव होते रहें। सतारूढ़ दल द्वारा शासन शक्तियों के दुरूपयोग करने पर, विरोधी दल एवं नागरिकों को उनके हाथ से सत्ता छीनने का अवसर नहीं मिलेगा और सत्तारूढ दल जनमत की कोई परवाह नहीं करेगा।

सामाजिक एवं राजनीतिक समानता

लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण समानता हो। समाज में छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, छूत-अछूत, धनी-निर्धन में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अतः बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद धारण करने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समता होनी चाहिए।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस

लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस की आवश्यकता होती है। किसी वर्ग अर्थात् यदि प्रेस पर सरकारी नियंत्रण है या प्रेस पर पूँजीपतियों का नियंत्रण है या उसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक एवं वर्गीय है तो वह जनमत का सुदृढ़ आधार नहीं हो सकती। यदि प्रेस द्वारा प्रकाशित समाचारों को जोड़-तोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो वह आधार ही समाप्त हो जाता है। जिस पर स्वच्छ एवं स्वतंत्र जनमत का निर्माण किया जा सकता है।

प्रभावशाली विरोधी दल

शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल के अभाव में लोकतंत्र सरकार निरंकुश और लापरवाह हो जाती है तथा अपनी सत्ता का दुरूपयोग करने लगती है। विरोधी दल आलोचना के द्वारा सरकार को सर्तक रखता है ताकि वह अपना कार्य ध्यानपूर्वक एवं भली-भाँति करें।

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय स्वशासन की स्थापना लोकतंत्र की सफलता की एक अनिवार्य शर्ते है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। एक साधारण नागरिक राष्ट्रीय विषयों की अपेक्षा स्थानीय मामलों में रूचि रखता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भाग लेने, जिससे शासन कला की शिक्षा प्राप्त होती है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय शासन में भाग लेने हेतु उसमें अभिरूचि उत्पन्न करती है।

परमार्थ की भावना एवं कत्र्तव्य परापणता

सदैव लोकतंत्र की नींव मनुष्य की सहयोग एवं सद््भावना में निहित होती है। लोकतंत्र नागरिकों की जनसेवा की उस निःस्वार्थ भावना पर ही फलती-फूलती है, जिसके कारण वे जानते हुए भी अपने व्यक्तिगत हितों को सार्वजनिक हितों के लिए बलिदान करते हैं। हम जानते हैं कि लोकतन्त्र को असफल बनाने वाले इसमें अधिक भय की बात और कुछ नहीं होता है कि उसमें भाग लेने वाले नागरिक उसके प्रति उदासीन हो। इस कारण लोकतन्त्र अधिनायकतन्त्र में तब्दील हो जाता है।

निर्णय शाक्ति

लोकतान्त्रिक देशों में जनधारण की निर्णायक बुद्धि का स्तर अच्छा हो तो लोकतन्त्र इस दोष से भी मुक्त हो सकता है कि उसे कठिन मामलों में निर्णय लेने में देरी न हो और समय भी कम लगे। लोकतन्त्र में शासन लोकतन्त्र, विचार -विनिमय तथा स्वस्थ आलोचना द्वारा ही चलना है, साथ ही इसमें जनता की ही शाक्ति ही निहित होनी चाहिये।

आर्थिक समानता एवं आर्थिक सुरक्षा

लोकतन्त्र में निर्धनता नहीं होनी चाहिये। अतः समाज में आर्थिक समानता होनी आवश्यक है। निर्धन (गरीब), व्यक्ति राजनीतिक या सामाजिक लोकतन्त्र का लाभ नहीं उठा सकता है। जब तक आर्थिक लोकतन्त्र प्राप्त नहीं होती तब तक राजनीतिक या सामाजिक लोकतन्त्र बेईमानी होगी। इसी के साथ में व्यक्ति को धन (अर्थ) सम्बन्धी न्यूनतम सुरक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। जैसाकि हम मानते है कि व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में खाने, पहनने, रहने इत्यादि है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति बिना वह लोकतन्त्र के पहलूओं पर गौर नहीं कर सकता है। अतः व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष एंव सुझाव

लोकतंत्र एक विशद् तथा महत्वकांक्षी विचार है तथा उसका आदर्श क्रियान्वयन तभी समझा जा सकता है जब उसकी झलक समाज, राज्य तथा शासन की संरचना तथा उसके कार्यों में दिखती हों। वर्तमान में लोकतन्त्र का विचार इतना अधिक लोकप्रिय है कि सभी शासन अपने को किसी न किसी रूप में लोकतन्त्रीय कहना, बनाना अवश्य इच्छा रखते हैं। आज लोकतान्त्रिक न होना अपने आप में हेय का प्रतीक लगता है तथा वर्तमान में किसी देश का नागरिक अपनी शासन व्यवस्था को अलोकतांत्रिक कहने का दुःसाहस नहीं कर सकता है, यह जो प्रवृत्ति है, वह विश्वव्यापी हो गयी है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Social and Cultural Organization) के सन् 1949 उस प्रतिवेदन में कहा गया था कि विश्व के इतिहास मंे पहली बार यह हुआ है कि कोई भी सिद्धान्त अब लोकतन्त्र विरोधी-सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत नही किया जाता। लोकतन्त्र विरोधी कृत्यों या दृष्टिकोण के लिए दूसरों के विरूद्ध बहुधा आरोप लगाया जाता है, परन्तु अपने द्वारा संरक्षित संस्थाओं एंव समर्थित सिद्धान्तों में लोकतन्त्रीय तत्वों के मानने के लिए व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ एवं राजनीति के विद्वान एक मत है। वर्तमान मंे जनवादी गणतन्त्रीय लोकतन्त्र, (People's Reputation Democracy) नियन्त्रित लोकतन्त्र (Controlled

Democracy) तथा बुनियादी लोकतन्त्र (Basic Democracy) इत्यादि लोकतन्त्र के अनेक नाम तथा स्वरूप अस्तित्व में आ गये हैं।

हम देखते हैं कि लोकतन्त्र के व्यवहार मंे ये दोष हमंे दिखते हैं, वे मूल लोकतंत्र में स्वयं न होकर, लोकतन्त्र के प्रयोगकत्र्ता में निहित होते हैं। जो लोग लोकतन्त्र का प्रयोग करते हैं वे दोषमुक्त होते हैं अथवा जिन परिस्थितियों में वे उनका प्रयोग करते हैं वे उस प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होती तो लोकतन्त्र में दोष स्पष्ट दिखाई देगा। लोकतन्त्र का विचार जिन सिद्धान्तों पर आधारित होता है, वे पूर्णतया दोषमुक्त होते हैं तथा यदि प्रजातन्त्र के प्रयोग में कोई दोष आ जाये तो उसका कारण यह होता है कि वे उनः आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, जिनकी पूर्ति करना लोकतन्त्र की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। 20वीं शताब्दी में लोकतन्त्र का निरन्तर विकास हुआ है तथा निरन्तर वैयक्तिक स्वतन्त्रता को सर्वाधिक बल देने वाली व्यवस्था अब पूर्णतया लोककल्याणकारी व्यवस्था में तब्दील हो गई है। हम कह सकते है कि किसी भी प्रकार के अल्पतन्त्र तथा तानाशाही (निरंकुशतन्त्र) में चाहे कितने ही गुण क्यांे न विद्यमान हो परन्तु लोकतन्त्र के स्वशासन का कभी भी स्थान नहीं ले सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी, श्राजनीति विज्ञान के मूल आधारश्ए राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृष्ठ 168-184*
2. *डॉ. नन्दनी उप्रेती राजनीति विज्ञान के मूल आधारश्ए राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2003, पृष्ठ 166-180*
3. *पी.के चड्डा राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त, आदर्श प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 231-253*
4. *पुखराज जैन राजनीतिक सिद्धान्त", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2018, पृष्ठ 80-96*
5. *ज्ञान सिंह सन्धु श्राजनीति के सिद्धान्त", ग्रन्थ विकास, जयपुर*
6. *डॉ. पुष्पेश पाण्डे व डॉ विजय पन्त श्राजनीतिक सिद्धान्त", जगदम्बा पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली*
7. *ओम प्रकाश गाबा राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, नोएडा तथा राजनीति-विज्ञान के आधार तत्व", श्मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर*
8. *डॉ.बी.एल.साह तथा नीता बोरा श्राजनीति-विज्ञान का परिचय, अंकित प्रकाशन हल्द्वानी*
9. *विलियम एबस्टीन", ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स", 1960, पृष्ठ-94*
10. *डेविड एष्टर श्इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस", 1977, पृष्ठ-176*
11. *एलन आर. बॉल श्मॉडर्न पॉलिटिक्स एण्ड गर्वमेन्ट", 1971, पृष्ठ-176*
12. *हेनरी मेयो, श्एन इन्ट्रोडक्शन टू डेमोक्रेटिक थ्योरी", 1960 पृष्ठ-62*
13. *एडवर्ड शिल्स श्पॉलिटिकल डेवलमेन्ट इन दि न्यू स्टेटस, कमेटी ऑन कम्परेटिव पॉलिटिक्सश् को दिया गया लेख, 1959*
14. *मेरियर श्मै ऑफ दी मॉडर्न स्टेट श् खण्ड प्प्, पृष्ठ 431*
15. *आमण्ड तथा वर्बा श्दी सिकिक कल्चर श्1956, पृष्ठ 56*
16. *ए.डी. आर्शीवादय श्राजनीति शास्त्रश्ए पृष्ठ 364*
17. *आर.एम.मैकाइवर श्दि वेब ऑफ गर्वमेन्ट, पृष्ठ-298*
18. *अर्नेस्ट बार्कर श्रिफ्लेक्शन ऑन गर्वमेन्ट, पृष्ठ-36*
19. *एस.ई. फाइनर, कम्परेटिव गवर्नमेन्ट, 1970 पृष्ठ-176*
20. *एस.आर महेश्वरी श्कम्पेरेटिव गर्वमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्सश् 1983, पृष्ठ-80*
21. *अनुप चन्द्र कपूर", प्रिंसीपल्स ऑफ पॉलिटिक्स साईंस, 1996 पृष्ठ-384*
22. *ब्राहम-मॉडर्न डेमोक्रेसी*
23. *सीले - "इन्ट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइन्स", पृष्ठ-324*
24. *डॉ बेनी प्रसाद,एबीसी ऑफ सीविक्स पृष्ठ 102*
25. *डिके, "लॉ ऑफ पब्लिक ओपीनियन इन इंगलैण्ड", पृष्ठ 50*
26. *प्रभुदत्त शर्मा, ""तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं" कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ 170-2016*
27. *ओ.पी.गाबा, राजीतिक विज्ञान के आधार तत्वश् मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर*
28. *धर्मचन्द जैन, (सम्पादक) राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्तश् पृष्ठ-121-129*
29. *रमेश चन्द्र शर्मा, बी.एच.सैनी, नरेन्द्रमनाथ", राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, अजमेर बुक कम्पनी, जयपुर, सितम्बर 2003, पृष्ठ 141-180*
30. *ओम प्रकाश "राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा", मयूर पेपरबैक्स नोएडा, 2010 पृष्ठ 237-254 तथा तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा " मयूर पेपरबैक्स, 2006, पृष्ठ 111-125*
31. *Https:// hi.wikipedia.org*
32. *Https: //hindi.webdunia.com*
33. *Https: //leveragerdu.com*
34. *Https: //www.uou.ac.in*